



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।

(राजस्व शाखा)

—:आदेश:—

अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट) के पत्रांक 1154/रा0, दिनांक 13.09.2023 से अभिलेख सं0 03/23-24, जो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 23 भारतमाला परियोजना फेज-2 के अंतर्गत वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु बोकारो अंतर्गत निम्न चिन्हित भूमि President of India, through Ministry of Road Transport & Highway (MoRTH), Government of India को निःशुल्क हस्तांतरण हेतु अंचल अधिकारी, जरीडीह एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट) की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

भूमि की विवरणी है:-

अंचल- जरीडीह, मौजा-बेलडीह, थाना नं0- 158

क्र0	खाता सं0	प्लॉट सं0	अधिग्रहित रकवा (हे0)	किस्म
1	98	197	0.0725000	रास्ता
2	97	213	0.0208000	परती कदीम
3	97	216	0.0038000	परती कदीम
4	97	217	0.0689000	बांध
5	97	218	0.0526103	परती पौंड
6	97	219	0.0406000	परती कदीम
7	98	290	0.0384000	रास्ता
8	79	473	0.1098000	रास्ता
कुल रकवा:			0.4074103 हे0	

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, सरकार के संकल्प सं0-6441/रा0, दिनांक 20.12.2016 के आलोक में उक्त प्रस्ताव पर निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. भूमि जिस प्रयोजन हेतु हस्तांतरित की जा रही है, उस प्रयोजन हेतु उसकी आवश्यकता नहीं रहने पर अथवा उस प्रयोजन हेतु उसका उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को वापस हो जाएगी।
2. अन्य सभी शर्तें "इस्टेट मैनुअल" में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

उपायुक्त,
बोकारो।

ज्ञापांक 1134/रा0, दिनांक 11/06/2024

- प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आयुक्त के सचिव, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अभिलेख सं0 03/23-24 को मूल में वापस किया जा रहा है।
- प्रतिलिपि:- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं जिला पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
बोकारो।